फर्द अहकाम

मूलचन्द बनाम किशनलाल वं अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 25/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अंतिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अभिकथनों प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त ख.नं. 30 रकबा 0.82 हे. वादी की एकल खातेदारी की सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिसकी सीमा की सुरक्षा भाग के संदर्भ में वादी द्वारा इस्तगासा वाद प्रस्तुत किया गया है। राज. काश्त. अधि. की धारा 188 के अनुसार एक अभिलिखित खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में वादी द्वारा स्वयं की साक्ष्य के वाद बिंदुओं को सिद्ध भी किया गया है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी प्रभावी पैरवी / साक्ष्य से वादी की अधिकारिता व कथनों को खंडित भी नहीं किया जा सका है। अत: वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे [illegible] सीमाज्ञान के नक्शे में ग्राम [illegible] तह. आमेर जिला [illegible] वादी की एकल खातेदारी की [illegible] भूमि आ. ख.नं. 30 रकबा 0.82 हे. की सीमा में किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप, अतिक्रमण व निर्माण कार्य आदि ना करें। निर्णय सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मूलचन्द बनाम किशनलाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 25/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	07/5/24	विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 25/2022 **निर्णय दिनांक : 07.05.2024**

1. मूलचन्द दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति मीणा
   निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगराम
2. हनुमान पुत्र किशनलाल
   जाति मीणा निवास ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

उभयपक्षकारान के अभिकथनो, प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादगस्त आ.ख.न 30 रकबा 0.82 है. वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि है जिसकी सीमा की सुरक्षा मात्र के संदर्भ में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। राज. काश्त.अधिनियम की धारा 188 के अनुसार एक अभिलिखित खातेदार को अपनी खातेदारिता की भूमि की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में वादी द्वारा स्वयं की भारिता के वाद बिन्दुओ को सिद्ध भी किया गया है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी प्रभावी पैरवी/साक्ष्य से वादी की अधिकारिता को खंडित भी नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विशिष्ट सीमाज्ञान के अभाव में ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा खसरा न 30 रकबा 0.82 है. की सीमा में किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप, अतिक्रमण व निर्माण कार्य आदि ना करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.05.2024 को जारी की गई।

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

ओहदा ..... मुख्यालय-जयपुर

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड
वाद संख्या : 25/2022
निर्णय दिनांक : 07.05.2024

1. मूलचन्द दत्तक पुत्र धन्नाराम जाति मीणा
निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगराम
2. हनुमान पुत्र किशनलाल

जाति मीणा निवास ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

वादी की ओर से ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की एकल खातेदारी की सीमाज्ञान शुदा भूमि आराजी खसरा नंबर 30 रकबा 0.82 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा की भूमि के सीमा जोड़ स्थित अन्य भूमि खसरा नंबर 21, 582 /21 के एक सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व एक अन्य पक्षकार के विरुद्ध हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उल्लेखित भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 0.82 हैक्टेयर का वादी एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है वादी की उक्त सीमाज्ञान शुदा खातेदारी भूमि की पश्चिमी सीमा के लगवा प्रतिवादी/ प्रतिवादीगण की हिस्सा भूमि खसरा नंबर 21, 582/21 स्थित है। उल्लेखित भूमि की सीमा काफी पुरानी है। जिस पर पेड़ पौधे लगे हुए है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 21.03.2022 को जबरन वादी के उक्त खसरा नंबर 30 की पश्चिमी सीमा पर निर्माण कार्य के उद्देश्य से निर्माण सामग्री डालना शुरू कर दिया। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त निर्माण से पूर्व सीमा चिन्ह कायम करवाने हेतु निवेदन किया गया परंतु प्रतिवादीगण द्वारा साफ इनकार करते हुए सीमाज्ञान/सीमा चिन्ह के अभाव में ही निर्माण करने की धमकी दी गई। जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी की उक्त सहखातेदारिता की भूमि के अन्य सहखातेदारान के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण से वाद पत्र में अन्य खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत मात्र अपनी खातेदारिता भूमि की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा मात्र का वाद होने से तहसीलदार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारिता की भूमि आराजी खसरा नंबर 30 रकबा 0.82 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा में प्रतिवादी विशिष्ट सीमा चिन्ह के अभाव मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें ना ही वादी की भूमि की सीमा को खुर्द बुर्द करें।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं:–

1. सत्य प्रतिलिपिः– जमाबंदी संवत 2075 से 2078 दिनांक [illegible] के ग्राम सांगावाला तहसील आमेर। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि ख.नं. 30 0.82 हैक्टेयर वादी की एकल खातेदारी की भूमि है।
2. सत्य प्रतिलिपिः– जमाबंदी संवत 2075 से 2078 खाता सं 23 दिनांक 29.03.2022 ग्राम सांगावाला तहसील आमेर। जिसके अनुसार अन्य उल्ले[illegible] भूमि खसरा नंबर 21, 582/21 प्रतिवादी 1 की सहखातेदारिता की भूमि है।
3. प्रमाणित प्रतिलिपिः– सीमा ज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2003। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 30 वादी की सीमाज्ञान शुदा भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थित होने व जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 03.06.2022 को उपस्थिति प्रस्तुत की जाकर दिनांक 12.09.2022 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वादी द्वारा असत्य कथन अंकित कर वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य प्रतिवादीगण की भूमि ख.न. 582/21 की पूर्वी सीमा (वादी की भूमि की पश्चिमी सीमा) पर कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में किसी प्रकार का अविधिक/अनैतिक हस्तक्षेप/अतिक्रमण कभी किया गया है ना ही ऐसा कोई इरादा रखते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री वर्णित दिनांक 21.03.2022 को वादी की भूमि की सीमा में नहीं डलवाई गई है एवं ना ही वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सीमा चिन्ह बाबत कभी कहा गया है। वादी द्वारा मात्र वाद कारण प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उक्त कथन अंकित किया गए हैं। इस प्रकार असत्य कथनों पर आधारित होने तथा वाद कारण के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाना अपेक्षित है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वाद पत्र में यह भी अभिकथन किया गया है कि वादी द्वारा अन्य खातेदारों/सहखातेदारों से कुसंयोजन कर वाद प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण से अन्य सींवडोल के लगवा भूमि के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो की सीमा विवाद संबंधी प्रकरण के स्थाई निस्तारण हेतु आवश्यक पक्षकार है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा तहसीलदार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही पक्षकार नहीं बनाए जाने का कोई संतोषप्रद कारण स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद में संपूर्ण तथ्य बनावटी व काल्पनिक अंकित किए गए है। जिनका कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:—

तनकी सं 1:— आया वादी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की एकल खातेदारीता की भूमि आराजी खसरा नं. 30 रकबा 0.82 है. की पश्चिमी सीमा के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

— वादी

तनकी सं 2:— आया वादी की एकल भूमि खसरा नं. 30 की पश्चिमी सीमा व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 21 व 582/21 की पूर्वी सीमा के बीच विवाद में अन्य सहखातेदारो को पार्टी बनाना आवश्यक नही है।

—वादी

तनकी सं 3:— आया प्रतिवादीगण की भूमि वादी की खातेदारी भूमि के सीमाजोड भूमि नही होने से वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। जिससे वादकारण के अभाव में वाद वादी खारिज योग्य है।

— प्रतिवादीगण

तनकी सं 4:— आया स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में तहसीलदार को पक्षकार होना आवश्यक है।

— प्रतिवादीगण

तनकी सं 5:— अनुतोष

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं वादी मूलचंद पुत्र धन्नाराम मीणा व मंगली देवी पत्नी मूलचंद के पेश किए गए है। जिसके क्रम में निरंतर अवसरों के उपरांत भी वादी साक्ष्य से जिरह नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जिरह करने का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण की ओर से निरंतर अनुपस्थिति पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी पक्ष की बहस अंतिम सुनी। तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण का तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार है:—

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

1. तनकी सं 1:– इस तनकी (वाद बिंदु) को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके अनुसार वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि वादी स्वयं की एकल खातेदारिता की भूमि/विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 30 रकबा 0.82 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा के संदर्भ में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रारंभ करने का अधिकारी है। उक्त संदर्भ में वादी के अभिकथनों व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–78 व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2003 से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि खसरा नंबर 30 वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। जो कि उभयपक्षकारान को अभिकथनों के अनुसार भी निर्विवाद तथ्य है। स्थापित प्रावधानों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में एक अभिलिखित खातेदार को स्वयं की खातेदारीता/एकल खातेदारिता की भूमि की सुरक्षा के संदर्भ में गैर खातेदार/दीगर व्यक्ति के द्वारा अविधिक/अनैतिक कृत्य किए जाने पर खातेदार काश्तकार को गैर खातेदार/दीगर को पाबंद करवाए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है तथा वादी द्वारा स्वयं को खातेदारिता की भूमि के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

2. तनकी सं 2:– इस तनकी को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके अनुसार वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि सीमा विवाद के प्रकरण में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। इस संदर्भ में वादी द्वारा अपने वाद पत्र के मद संख्या 7 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि वादी द्वारा अन्य खातेदारान के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिससे वाद पत्र में अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वाद पत्र के अनुतोष मद के अनुसार भी यह प्रदर्शित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण खातेदारी अधिकारों, विभाजन, सीमाज्ञान करवाए जाने के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया है अपितु स्वयं की एकलखातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे सीमा स्थित अन्य भूमि के सहखातेदारान के हक अधिकार उपयोग उपभोग प्रभावित नहीं होते है। जिससे सीमित अनुतोष के संदर्भ में प्रस्तुत वाद में अप्रभावित पक्ष को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक व न्यायोचित नहीं समझते है। इसके अतिरिक्त भी प्रतिवादीगण द्वारा इस वाद बिन्दु के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा प्रभावी तर्क/साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाये जाने की विधिक बाध्यता की पुष्टि नहीं करता है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष तय की जाती है।

3. तनकी सं 3:– इस तनकी को सिद्ध करने की भारीता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि प्रतिवादीगण की भूमि वादी की खातेदारी भूमि की सीमा जोड़ भूमि नहीं होने से वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। जिससे वाद वादी खारिज योग्य है। इस संदर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई मान्य दस्तावेज जो साक्ष्य (नक्शा) प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस[illegible] की भूमि वादी कि खातेदारी भूमि की सीमा जोड़ भूमि नहीं [illegible]ादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी[illegible] 21, 582/ 21 वादी की पश्चिमी सीमा की [illegible] है। जि[illegible]दर्भ में वादी द्वारा न्यायालय अवलोकनार्थ भूमि की ऑनलाइन नक्शा प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण की भूमि वादी की भूमि खसरा [illegible] 30 के सीमा जोड़ भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संदर्भ में खंडन के रूप में कोई मान्य राजस्व नक्शा प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वादी के उल्लेखित वाद कारण के खंडन के संदर्भ में प्रभावी पैरवी/साक्ष्य जिरह द्वारा खंडन भी नहीं किया जा सका है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) [illegible]
मुख्यालय-जयपुर

4. तनकी सं 4:– इस तनकी को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में तहसीलदार को पक्षकार होना आवश्यक है। जिसके संदर्भ में प्रतिवादी पक्ष द्वारा ऐसा कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में तहसीलदार को पक्षकार होना आवश्यक है ना ही संदर्भ में प्रभावी पैरवी/तर्क से इस संदर्भ की बाध्यता सिद्ध की गई है जबकि वादी द्वारा तहसीलदार स्तर पर कोई अनुतोष नहीं चाहा जाने के आधार पर पक्षकार नहीं बनाना प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकते से यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

आदेश

उभयपक्षकारान के अभिकथनो, प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादगस्त आ.ख.न 30 रकबा 0.82 है. वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि है जिसकी सीमा की सुरक्षा मात्र के संदर्भ में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। राज.काश्त.अधिनियम की धारा 188 के अनुसार एक अभिलिखित खातेदार को अपनी खातेदारिता की भूमि की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में वादी द्वारा स्वयं की भारिता के वाद बिन्दुओ को सिद्ध भी किया गया है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी प्रभावी पैरवी/साक्ष्य से वादी की अधिकारिता को खंडित भी नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विशिष्ट सीमाज्ञान के अभाव में ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा खसरा न 30 रकबा 0.82 है. की सीमा में किसी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप, अतिक्रमण व निर्माण कार्य आदि ना करें।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा राठौड)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested